प्रेस नोट-

थाना गरौठा व लहचूरा क्षेत्रान्तर्गत घटित हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बांका बरामद-

- **दिनाँक 08.08.2025 को थाना लहचूरा क्षेत्रान्तर्गत 19 वर्षीय युवक व दिनाँक 10.08.2025 को थाना गरौठा क्षेत्रान्तर्गत 18 वर्षीय युवती का शव मिलने के प्रकरण में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में-**
- **दोनों प्रकरणों में प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर स्थानीय थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियोग में नामजद 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैः-**

1. दिनाँक 08.08.2025 को थाना लहचूरा क्षेत्रान्तर्गत झारखण्ड मंदिर ग्राम गुढ़ा की झाड़ियों में 19 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। शव के शिनाख्त हेतु पुलिस द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से सार्थक प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम में दिनाँक 09.09.2025 को उसकी पहचान विशाल पुत्र हल्केराम निवासी ग्राम पसराई थाना टहरौली जनपद झाँसी के रुप में हुई। मृतक के परिजनों से वार्ता के दौरान मृतक के पिता हल्केराम अहिवार द्वारा थाना गरौठा के ग्राम चन्द्रपुरा निवासी 02 युवकों 1. प्रकाश प्रजापति 2. अरविन्द उर्फ गुल्ले अहिरवार के विरुद्ध दिनाँक 07.08.2025 को उसके पुत्र विशाल को नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाने की बात कह कर घर से अपने साथ लेकर जाने व पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया। प्रार्थना-पत्र के आधार थाना लहचूरा पर मु0अ0सं0 112/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट बनाम अभियुक्त 1. प्रकाश प्रजापति 2. अरविन्द उर्फ गुल्ले अहिरवार के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

2. दिनाँक 10.08.2025 को थाना गरौठा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्द्रपुरा में दादा महाराज चबूतरा के पास 18 वर्षीय युवती का शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में मृतका के पिता द्वारा अपने ही पुत्र अरविन्द उर्फ गुल्ले अहिरवार पर उसकी पुत्री की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया है। प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना गरौठा पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अरविन्द अहिरवार उर्फ गुल्ले के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियोगों में पुलिस द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही/प्रकाश में आए तथ्य -

पुलिस द्वारा अभी तक की विवेचना व पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है, मृतक विशाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना गरौठा क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक युवती को भगाने के सम्बन्ध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करते हुये विवेचना समाप्त की गयी थी। मृतक विशाल उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में जिस युवती को भगाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, उसी युवती का शव दिनाँक 10.08.2025 को थाना गरौठा क्षेत्रान्तर्गत बरामद हुआ है। मृतक युवक व युवती के मध्य पूर्व से बातचीत होने की बात प्रकाश में आयी है। जो युवती के भाई अरविन्द अहिरवार उर्फ गुल्ले को नागवार थी। अरविन्द अहिरवार दिनाँक 07.08.2025 को पूणे से घर आया था। और अपने गाँव के एक साथी प्रकाश प्रजापति के साथ मिलकर विशाल को दिल्ली में नौकरी के नाम पर दिनाँक 07.08.2025 को उसके घर से बुलाकर ले गया तथा उसकी हत्या कर शव को थाना लहचूरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुढ़ा में झाड़ियों में फेंक दिया। दिनाँक 09.08.2025 को अपनी बहन से रक्षाबन्धन बंधवाकर त्यौहार

मनाया। उसके बाद दवा दिलाने के नाम पर उसे घर से लेकर निकला और उसकी हत्या कर शव को ग्राम चन्द्रपुरा में दादा महाराज चबूतरा के पास डाल कर भाग गया है। अभी तक की जाँच से उपरोक्त घटना प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग का होना पाया गया है।

अभियोगों में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु स्वाट, सर्वेलन्स सहित पुलिस की टीमें गठित की गयी थी। **पुलिस टीमों द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अभियोगों में नामजद अभियुक्त 1. अरविन्द अहिरवार उर्फ गुल्ले को पुरानी मण्डी गेट, थाना क्षेत्र नवाबाद व 2. प्रकाश प्रजापति को ग्राम चन्द्रपुरा थाना गरौठा से गिरफ्तार कर अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बांका बरामद किया गया। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।** विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1- प्रकाश प्रजापति पुत्र मुन्ना उम्र करीब 46 वर्ष
2- अरविन्द अहिरवार उर्फ गुल्ले पुत्र पप्पू उर्फ चन्द्रकुमार अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष, निवासीगण ग्राम चन्द्रपुरा थाना गरौठा जिला झाँसी

<u>बरामदगीः-</u> आलाकत्ल बांका

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -</u>

1. श्री बलिराज शाही, प्रभारी निरीक्षक, थाना गरौठा, झाँसी
2. श्रीमती सरिता मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, थाना लहचूरा, झाँसी
3. उ0नि0 श्री अश्वनी दीक्षित, थाना गरौठा, झाँसी
4. उ0नि0 कुलभूषण सिह, थाना लहचूरा, झाँसी
5. का0 204 दीपेन्द्र कुशवाहा, थाना लहचूरा, झाँसी
6. का01318 प्रवीण कुमार, थाना लहचूरा, झाँसी
7. का0734 कुलदीप सिह, थाना लहचूरा, झाँसी
8. का0 607 हरीश गौतम, थाना गरौठा, झाँसी